बी. 208-2-2005-80,000 फार्म

फर्द अहकाम (ई)

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	
10/7/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी एवं पैरोकारराज ने उपस्थित आकर बहस की। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि श्री जगतराम पुत्र धीकू निवासी देहरा तहसील नूरपूर जिला कांगडा को दिनांक 13–10–1993 को उपनिवेशन तहसील, नाचना–2 के चक 7 एसकेडी के मु0नं0 147/44 में 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन की गयी थी। आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने आवंटी के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 29–06–2002 को उक्त भूमि निरस्त कर दी। इसके पश्चात उक्त भूमि पौंग बांध विस्थापित गुंसाई पुत्र गंगाराम चौधरी साकिन बासा लोहकवा मौजा वास गुडियाला तहसील नूरपूर जिला कांगडा को आवंटित कर दी गई। अतः अपीलार्थी का पौंग बांध विस्थापित क्लेम शेष है। अतः पात्रतानुसार अन्य भूमि आवंटन करने का निवेदन किया जिसमें वकील अप्रार्थी के द्वारा कहा गया कि यदि अपीलान्ट को अन्य रकबा दिया जाता है तो मुझे प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को पौंग बांध विस्थापितों की हैसियत से जो क्लेम शेष है, उक्तानुसार भूमि नियमानुसार आवंटन की जावे। निर्णय प्रति व संबंधित रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 10–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 10-7-2024 (डॉ. प्रदीप के. गावंडे) आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर	[handwritten note, partly illegible] 10/7/24 ... 6/7/82 (412/84) ... 1065/73 ... 10/7/24 ... Adde ...

आयुक्त उपनिवेशन, रा.प.वि. बीकानेर (seal)